न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डॉ0 नीलम मीणा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)निवाई द्वारा अध्यासित)

GCMS NO.:–2007/00014
दावा संख्या :–04/2007
निर्णय दिनांक:–07.04.2022

उनवान

1/1/1. लवराज सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बहड़ तह0 निवाई, जिला टोंक
1/1/2. देवराज सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बहड़ तह0 निवाई, जिला टोंक
1/1/3. राजेन्द्र कंवर पत्नी पुत्र विरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बहड़ तह0 निवाई, जिला टोंक
1/2/1. कुशराज सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बहड़ तह0 निवाई, जिला टोंक
1/2/2. ऋषिराज पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बहड़ तह0 निवाई, जिला टोंक
1/2/3. सुलक्ष्णा पुत्री सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बहड़ तह0 निवाई, जिला टोंक
1/2/4. सुदर्शना पुत्री सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बहड़ तह0 निवाई, जिला टोंक
1/3. दुर्गा सिंह पुत्र रणवीर सिंह जाति राजपूत निवासी बहड़ तह0 निवाई, जिला टोंक
1/4. हंस कंवर पुत्री रणवीर सिंह जाति राजपूत निवासी बहड़ तह0 निवाई, जिला टोंक
1/5. रघुवीर सिंह पुत्र रणवीर सिंह जाति राजपूत निवासी बहड़ तह0 निवाई, जिला टोंक

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निवाई जिला टोंक राज.

–प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी

उपस्थितः– 1. श्री गिरधर सिंह तंवर एवं रविप्रकाश पारीक वकील वादीगण
2. तहसीलदार निवाई।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादी की आराजी खसरा नम्बर 2193 रकबा 13 बीघा ख0नं0 2194 रकबा 08 बिस्वा ख.नं. 2196 रकबा 08 बिस्वा ख.नं. 2197 रकबा 18 बिस्वा ख.नं. 2198 रकबा 01–12 बीघा वाके ग्राम बहड़ में स्थित है। उक्त कृषि भूमि जागीर के समय से ही खुदकाश्त रही है एवं जागीर पुर्नग्रहण के पश्चात से आज तक वादी द्वारा ही काश्त की जाती रही है।

जागीर पुर्नग्रहण के पश्चात जागीर उन्मुलन अधिनियम 1952 की धारा 10 एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभावी होने पर धारा 13, 14 के अनुसार उन सभी जागीरदारों एवं आसामीयों को उक्त अधिनियम के प्रभावी होने के दिन जो खुद काश्त के आसामी थें, उनको खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो चुके है। वादीगण उक्त अधिनियम के लागू होने के दिन से

Scanned with OKEN Scanner

ही वादग्रस्त भूमि का खुद काश्त आसामी है। अतः वादी इस भूमि का कदीमी खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त भूमि का पैटा काश्त होने के कारण तालाब पैटा आवंटन की सूची में सम्मिलित किया गया है जो गैर कानूनी और राज्य सरकार के परिपत्र 02.12.1967 के विपरीत है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा एवं उक्त वर्णित भूमि का आवंटन नही करने, वादी को खातेदार/गैरखातेदार आसामी घोषित कर काश्त करने का अधिकार निरन्तर रखा जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करवाया जावें तथा वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार की मजाहमत नही करने हेतु पाबन्द किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। जिसके अनुसार वादी द्वारा जिस भूमि हेतु वाद लाया गया है वह राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमि है। जिसमे वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है तथा तालाब तथा नदी पेटा आवंटन नियम 1961 के अनुसार तालाब तल तथा नदी पेटा मे भूमि का आवंटन किया जाता है तो वह विधि सम्मत नही है। उक्त प्रकरण पर अ0 रहमान बनाम सरकार प्रकरण जिसमे पानी बहाव/भराव क्षेत्र की स्थिति 15 अगस्त 1947 से पूर्वानुसार बनाये रखे जाने सम्बन्धी पारित निर्णय लागु होता है। जिसके अनुसार वाद स्वीकार योग्य नही है तथा वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है जिस पर यदि वादी [redacted]जा करता है तो वह नियमानुसार अतिक्रमण की श्रेणी में रहेगा। अतः वाद वादी खारिज किए जाने योग्य है।

वकीलवादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। पत्रावली का निर्णय तनकीनुसार निम्न प्रकार है:-

तनकी न.1:-

आया वादी ग्राम बहड़ का पूर्व जागीरदार है। वाद वर्णित भूमि वादी कि खुदकाश्त व गैर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। लिहाजा वादी को राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 13 के अनुसार घोषित किया जाना चाहिए।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी का कथन है कि वह ग्राम बहड़ का जागीरदार था तथा भूमि वादग्रस्त खुद काश्त की रही है। जिस पर जागीर पुर्नग्रहण के पश्चात से आज तक वादी द्वारा ही काश्त की जाती रही है। पत्रावली के साथ सलंग्न खसरा बन्दोबस्त EX-1 व खसरा गिरदावरी सं. 2011-14 से वादी वादग्रस्त खसरा नं. 2193, 2194, 2196, 2197, 2198 का ठिकानेदार के रूप में दर्ज होना प्रमाणित है। परन्तु वादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसकी जागीरदारी अथवा खातेदारी में जागीरदारी पुर्नग्रहण अधिनियम व RTA-55 लागू होने के समय कितनी व कौन कौन सी भूमियां थी, कितनी भूमि इसमें से अधिग्रहित कर ली गई थी तथा कितनी भूमि उनकी खातेदारी में छोड़ी गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि वादी स्वच्छ हाथो से न्यायालय में नहीं आया है। यदि भूमि वादग्रस्त पर वादी ने कब्जा कर भी रखा है, तो भी वह खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार नहीं हो जाता है, साथ ही भूमि वादग्रस्त, तालाब पेटा की भूमि है, जिस पर धारा 16 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अनुसार किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। यदि वादी का कोई उज्र बनता भी था तो उसे जागीरदारी पुर्नग्रहण अधिनियम के तहत तत्समय ही आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए थी। अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टान्त विचाराधीन प्रकरण में चस्पा नहीं होते है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

तनकी नं. 2:–

वाद वर्णित भूमि तालाब पेटा भूमि है। जो राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा–16 के अनुसार खातेदारी नही दी जा सकती है।

इस तनकी के अनुसार भूमि वादग्रस्त तालाब पेटा की भूमि है। जो सलंग्न जमाबन्दी 2060–63 EX-2 से तालाबी होना साबित है। जो राज0 काश्तकारी अधि0 1955 धारा–16 (3) के अनुसार उन भूमियो में दर्ज है, जिन पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

अनुतोषः–

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी अपने जिम्मे की तनकी को साबित करने में असफल रहा है। जबकि प्रतिवादी ने अपने जिम्मे आयी तनकी को बखूबी साबित किया है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **07.04.2022** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/4/22

(डॉ0 नीलम मीणा)
सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)
निवाई

Scanned with OKEN Scanner